UPSH010014222026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–549/2026

गोधन मिश्रा उर्फ अजय पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम–अलियापुर, थाना–कॉट, जिला–शाहजहॉपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–337/2020,
धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व
धारा–3(1)द एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–कॉट, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांक–10.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **गोधन मिश्रा उर्फ अजय** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पैरोकार राजाराम प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मामले में दिनांक 28.02.2026 से जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न ही पूर्व में खारिज हुआ है।

न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस का तामीला पर्याप्त होने व पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वादी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जगमोहन द्वारा दिनांक 22.05.2020 को सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी कि 18 दिन पूर्व विनय पुत्र राजाराम ने उसके पालतू कुत्ते को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी थी, जिससे उसके पालतू कुत्ते की मौत हो गयी थी और इसी बात को लेकर उसकी, उपरोक्त विनय से कहासुनी हो गयी थी तथा इसी बात को लेकर विनय, उससे बुराई मानने लगा। दिनांक 11.05.2020 को समय करीब 11:00 बजे सुबह वह अपने खेत पर पटेला लगा रहा था, तभी विनय, गोधन व धर्मेन्द्र पुत्रगण राजाराम, उसके पास आये और गन्दी–गन्दी गालियॉ देकर कहने लगे कि धुबेटा साले, आज तूझे जान से मार डालेंगे। उसने गालियॉ देने से मना किया तो इसी बात पर उसके साथ लात–घूसों व डण्डों से मारपीट करने लगे। मौके पर गॉव के राजेश कुमार पुत्र जगपाल सिंह व कमलेश कुमार पुत्र जागेश्वर आ गये, जिन्होंने उसे बचाया व घटना देखी। मारपीट में उसका बायॉ हाथ टूट गया। उपरोक्त सभी लोग जाते–जाते, उसे जान माल की धमकी देते हुये चले गये।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे रंजिशन झूॅठा फॅसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वह काफी बीमार है तथा उसका लगातार ईलाज चल रहा है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। वह घर का अकेला व्यक्ति है तथा उसके घर व बच्चों की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.03.10 15:25:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ गाली–गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित करते हुये, लात–घूसों व डण्डों से मारपीट की गयी व उसे जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया गया। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ गाली–गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित करते हुये, मारपीट करने तथा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त सजायाफ्ता हो अथवा उसका कोई आपराधिक इतिहास हो, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई तर्क अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में दिनांक 28.02.2026 से एन0बी0डब्लू0 के निष्पादन में जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का युक्तियुक्त आधार पाता है। तद्नुसार प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त **गोधन मिश्रा उर्फ अजय** द्वारा **मु0 25,000/–रूपये** का **व्यक्तिगत बंधपत्र** व इसी धनराशि का **एक प्रतिभू** दाखिल किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थी/अभियुक्त यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति की दशा में वे कोई स्थगन नहीं देगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अपराध, जैसा करने का उस पर अभियोग या संदेह है, जैसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा व न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है।

आदेश की प्रति ई–मेल के माध्यम से जिला कारागार, शाहजहॉपुर प्रेषित की जाये।

दिनांकः 10.03.2026

(अभय प्रताप सिंह–I)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6315